24

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप—6)विभाग

प0क0—9(78)राज-6/07/28 जयपुर,दिनांकः— 17.9.2007

समस्त जिला कलेक्टर,

राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 5 व नियम 6 में यह प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अभिधारी निवास गृह, पशु—शाला, भंडार गृह, लघु उद्योग एवं कजावा के लिये इन नियमों में विहित सीमा तक अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग बिना अनुज्ञा के कर सकता है।

उक्त प्रावधानों मे यह समस्या आ रही है कि ऐसे खातेदारों को औपचारिक संपरिवर्तन आदेशों के बिना वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं मिल पा रहा है।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते है कि जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा जहां भी ऐसे खातेदार अभिधारियों द्वारा आवेदन किया जावे तो इन नियमों में विहित सीमा तक औपचारिक संपरिवर्तन आदेश जारी करायेगें ताकि ऐसे खातेदार अभिधारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सके।

उप शासन सचिव 17.9.07

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. निजी सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,राजस्व।
3. निबन्धक, राजस्व मंडल, राज0 अजमेर।
4. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 17.9.07